न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 282 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 521**
दायर दिनांक :— 17.09.2025 **निर्णय दिनांक :— 30.12.2025**

1. रोशनी पत्नी जोराराम जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर, जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. धनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र पेहलादराम जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. प्रेमलता पत्नी जगदीश जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. बचनाराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
5. कालूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. जोराराम पुत्र बाकाराम जाति विश्नोई निवासी शेराणीनगर जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 2.6628 हैक्टेयर सरहद मौजा शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओ के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने आदेश कमांक 2025 / 49606 / 2 दिनांक 02.06.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 12.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी एवं अन्य पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुस्तकिल बिंदु से कर मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया। उक्त पैमाईश फर्द

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 ने पैमाईश प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपुरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी ग्राम शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 97 रकबा 2.6628 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 12.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 97 रकबा 2.6628 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान उपरान्त विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। पत्थरगढी की आड़ में मौके पर कब्जा नहीं दिलाया जावे इस आशय का आदेश फरमाया जावे। साथ ही मौका कमिश्नर शुल्क का भी अकंन फरमावे। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप खसरा नम्बर 97 रकबा 2.6628 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 12.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 2.6628 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 12.06.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Satya...
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप खसरा नम्बर 97 रकबा 2.6628 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 12.06.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर राशि 500/– रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)